सैकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के जयपुर में गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सैंटर पर सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जे.डी.ए. ने "अधिगम" नाम से संचालित कोचिंग सैंटर की 500 वर्गगज में बनी 5 मंजिला इमारत को 3 घंटे में ढहाकर ज़मींदोज कर दिया। यह बिल्डिंग अवैध तरीके से व सड़क पर कब्जा करके बनाई गई थी, आरोपियों ने सड़क पर कब्जा करके तीन कमरे बना रखे थे। भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेन्टर "अधिगम" पर गरजा बुलडोज़र

जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर बनी 5 मंजिला इमारत को जे.डी.ए. ने 3 घंटे में जमींदोज़ किया

- दो आवासीय प्लॉट्स को जोड़कर ज़ीरो सेटबैक में 500 वर्ग गज जमीन पर बनाई थी अवैध इमारत।
- आरोपियों ने सड़क सीमा पर कब्जा करके भी अवैध निर्माण कर रखा था, तीन अवैध कमरे, बालकनी सड़क की सीमा में थे।
- बिल्डिंग मालिकों ने जे.डी.ए. ट्रिब्युनल में अपील करके स्टे लेना चाहा, लेकिन वहां भी कोई राहत नहीं मिली।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 9 जनवरी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड बदमाश भूपेन्द्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित "अधिगम" कोचिंग सैन्टर को जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने सोमवार को ध्वस्त कर दिया। गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी स्थित इस 5 मंजिला अवैध इमारत पर सुबह साढ़े 7 बजे बुलडोजर से तोड़फोड़ शुरू की गई। करीब सवा दो घंटे में जेडीए टीम ने पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है कि यह अवैध इमारत दो आवासीय कॉर्नर प्लॉट को जोड़कर जीरो सैटबैक में 500 वर्गगज में बनाई गई थी। यहां तक कि सड़क पर कब्जा करके भी तीन कमरे और बालकनी बना दी गई थी। भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि पेपर लीक गिरोह के सरगना एवं कोचिंग संचालक भूपेन्द्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी व बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल को गत दिनों नोटिस जारी करके 8 जनवरी तक जवाब पेश करने का समय दिया था। उन्होंने कहा "हमने टैक्नीकल टीम से 3 दिन पहले बिल्डिंग की जांच करवाई थी। इसमें पाया गया था कि बिल्डिंग जेडीए से अनुमति लिए बिना और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाई गई है। ये इमारत दो आवासीय प्लॉट को जोड़कर बनाई गई है, जबकि इसका उपयोग कॉमर्शियल हो रहा था। करीब 500 वर्गगज जमीन पर बनी इस अवैध इमारत के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर कॉमर्शियल गतिविधियां चलती थीं। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर अधिगम की कोचिंग चलती थी। पांचवी मंजिल पर एक अवैध पेंट हाउस बना हुआ था। कॉर्नर प्लॉट होने के कारण सड़क के किनारे जो जमीन सरेंडर करनी थी, उस जमीन पर भी कब्जा करके निर्माण किया हुआ था।

उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे जेडीए की टीम गुर्जर की थड़ी स्थित "अधिगम" कोचिंग सैन्टर की इस अवैध इमारत को ढहाने पहुंची। एक पोकलेन मशीन, तीन जेसीबी मशीन, 12 लोखंडा, 3 ड्रिल और 2 कटर मशीन के साथ 30 से ज्यादा मजदूरों ने 3 घंटे बाद सुबह 10.45 बजे पूरी बिल्डिंग को धाराशायी कर दिया। बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा शाम करीब सवा 4 बजे धराशायी किया गया। यह इमारत दो पार्ट में बनी थी, दूसरा हिस्सा गिराने में जेडीए को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पॉकलैण्ड चलाने वाला एक ड्राइवर तो आधा काम करके वापस चला गया, फिर दूसरा ड्राइवर बुलवाकर काम शुरू करवाया गया। दूसरे हिस्से को गिराने के पीछे सबसे बड़ा डर बिल्डिंग का गिरने वाला मलबा था क्योंकि केवल एक ही हिस्से में बिल्डिंग को गिराने का विकल्प था। काफी मशक्कत के बाद शाम करीब 4:15 बजे बिल्डिंग के दूसरे हिस्से को भी धराशायी कर दिया गया।

रघुवीर सैनी ने बताया कि इस कोचिंग सैन्टर को ध्वस्त होने से बचाने के लिए बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल ने जेडीए ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी नंदनी व्यास की कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें अनिल अग्रवाल के वकील सोहन सोलंकी ने बताया कि जेडीए ने हमें अवैध निर्माण तोड़ने का समय नहीं दिया, हम अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटा लेते। वहीं सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुए जेडीए ने कहा कि बिल्डिंग का अधिकांश हिस्सा गिराया गया था, बचे हुए हिस्से से जनहानि हो सकती थी, इसलिए इसे पूरा गिराना जरूरी था। इस पर कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद जेडीए को आदेश दिए कि जो बिल्डिंग टूट चूकी है, उसका मलबा 2 दिन में हटाया जाए, ताकि यातायात आवागमन वहां सुचारू हो सके। इसके साथ ही भविष्य में भूखण्ड के टाइटल या अन्य तकनीकी पहलुओं पर जेडीए कार्यवाही करता है तो पहले पीड़ित का पक्ष सुनना होगा।

ज्ञात रहे कि जेडीए प्रशासन ने पिछले साल भी रीट भर्ती पेपर लीक मामले में लिप्त रहे रामकृपाल मीणा के स्कूल की चार मंजिला बिल्डिंग को भी ध्वस्त किया था। उस समय जेडीए ने जयपुर के गोपालपुरा स्थित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बने एसएस कॉलेज और एसएस पब्लिक स्कूल की 4 मंजिला इमारत हटाई थी। ये बिल्डिंग रामकृपाल की थी और सरकारी जमीन पर बनी थी।

उस समय भी जेडीए ने पहले अपने स्तर पर जमीन और बिल्डिंग की जांच करवाई थी और उसके बाद नोटिस जारी करके बिल्डिंग को दो दिन के अंदर जमींदोज कर दिया था।

'2024 में प्र.मंत्री सुनक और उनके 15 मंत्री हार जायेंगे'

लंदन, 9 जनवरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए नए वर्ष के आगाज के दौरान ही बुरी खबर आ गई है। ब्रिटेन के अखबार 'द इंडिपेंडेंट' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में होने वाले आम चुनावों में प्रधानमंत्री सुनक, उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब और स्वास्थ्य मंत्री स्टीव बार्कले सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। यह रिपोर्ट एक सर्वे पर आधारित है, जिसे चुनावों के पूर्वानुमान के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस पूर्वानुमान ने ब्रिटेन की सत्ता में खलबली पैदा कर दी है।

आपको बता दें कि ऋषि सुनक ऐसे वक्त में ब्रिटेन के पीएम बने जब उनका देश आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। बेकाबू महंगाई के चलते पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन और उनके बाद पीएम बनी लिज ट्रस को महज दो माह के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके बाद ऋषि सुनक को पार्टी के आंतरिक चुनाव में पीएम चुना गया।

10 जनवरी को होने वाली ए.एस.आई. पदोन्नति परीक्षा पर रोक

- राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने हैड कांस्टेबल बच्चू सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए परीक्षा पर तथा 12 दिसम्बर को जारी पात्रता सूची पर भी रोक लगा दी।
- अपील में कहा गया है कि, परीक्षा के लिए चयनित प्रत्याशी, जिसे आरक्षण वर्ग में सेवा में लिया गया था, उसे पदोन्नति में भी उसी वर्ग में रखा जाए न कि सामान्य वर्ग में।

जयपुर, 9 जनवरी। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने दौसा जिले में हैड कांस्टेबल से ए.एस.आई. पदोन्नति के लिए दस जनवरी से आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में गत 12 दिसंबर को जारी पात्रता सूची पर भी रोक दी है। अधिकरण ने यह आदेश बच्चू सिंह की अपील पर दिए।

अपील में अधिवक्ता एम.एस. राघव ने अधिकरण को बताया कि, दौसा जिले में हैड कांस्टेबल से ए.एस.आई. की वर्ष 2018-19 की पदोन्नति के लिए गत छह दिसंबर को पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। जिसमें प्रार्थी रामसिंह को संबंधित वर्ग में रिक्तियां नहीं होने के कारण अपात्र माना गया। अपील में कहा गया कि डीजीपी ने गत 12 दिसंबर को फिर से पात्रता सूची जारी कर कहा कि सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुए हैं या नहीं। वहीं इस पात्रता सूची में पूर्व में अपात्र घोषित प्रार्थी रामसिंह को भी शामिल कर लिया गया।

अपील में कहा गया कि जब चयनित व्यक्ति सेवा में प्रवेश के समय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुका है तो वह उसी वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा और उसे सामान्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता। डीजीपी गलत तरीके से पूर्व में आरक्षण का लाभ लेकर सेवा में प्रवेश पाने वालों को पुनः लाभ दे रहे हैं और अपात्रों को पदोन्नति परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही इस पात्रता सूची के आधार पर 10 और 11 जनवरी को परीक्षा आयोजित की जा रही है।

भाजपा के हिन्दुत्व...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक सामाजिक-शैक्षिक-आर्थिक सर्वे कराया था, लेकिन इस जातिगत सर्वेक्षण के परिणाम सार्वजनिक नहीं किये गये थे। गौरतलब बात है: जब इतनी सारी राज्य सरकारें जातिगत जनगणना की माँग कर रही हैं तो वह मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनावों में जोर पकडड़ सकता है जिसका नुकसान भाजपा को होगा।

बिहार की जातिगबत जनगणना के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराये जाने की माँग उत्तर प्रदेश तथा विपक्ष-शासित अन्य राज्यों में उठ सकती है। जातिगत चेतना की जड़ें बहुत गहरी हैं तथा इसमें भाजपा के हिन्दुत्व कार्ड को हरा देने की क्षमता निहित है।

जो आलाकमान खुद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान कर पाएगा? इसमें सभी को संशय नजर आता है। अब यह बात महत्वपूर्ण है कि यदि मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस आलाकमान फैसला नहीं ले पाता है, तो फिर सचिन पायलट को किस पद के साथ संतुष्ट किया जा सकता है। खुद सचिन पायलट कई बार कह चुके हैं कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, वह उसे निभाएंगे, लेकिन राजनीति में भाषण अपनी जगह होते हैं और संतुष्टि अपनी जगह।

इस बीच सचिन पायलट ने मकर संक्रांति के बाद अपने राजनीतिक दौरे करने करने की तैयारी शुरू कर दी है। वह अपने समर्थक विधायक रामनिवास गावड़िया के विधानसभा क्षेत्र परबतसर में 16 जनवरी को, तो राज्य के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निर्वाचन क्षेत्र गुढ़ा उदयपुरवाटी में 18 जनवरी को किसान सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। यह शुरुआत सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्रों की है, लेकिन इसके जरिए सचिन पायलट अपने समर्थकों को ना सिर्फ फिर से सक्रिय करेंगे, बल्कि राजस्थान में जहां भी उन्हें मौका मिलेगा, राजनीतिक दौरे करके सरगर्मी बढ़ाएंगे।यही कारण है कि राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने रविवार को जयपुर में बैठक करने के बाद दिल्ली जाने के बजाय सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ एक लंबी चर्चा की। कहने को चर्चा संगठन विस्तार को लेकर हुई बताते हैं, लेकिन विषय यही है कि यदि सचिन पायलट लगातार राजस्थान में राजनीतिक दौरे करेंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे को परेशानी होगी। वही पूरे राज्य में यह संदेश भी जाएगा कि दोनों खेमों के बीच में सामंजस्य बिठाने में कांग्रेस नाकाम रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सचिन पायलट को लेकर पार्टी कब और क्या फैसला लेती है या चुनावी वर्ष में फिर यह अंतर्द्वंद यूं ही जारी रहने वाला है।

भाजपा कोर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया गया। यात्रा सफल रही और जनता में भयंकर आक्रोश है। सभी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि 28 को मोदी जी का राजस्थान दौरा प्रस्तावित है, इस पर भी चर्चा की गई। अब पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा को 16-17 को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी, जिसमें कार्यक्रमों पर चर्चा होगी और रोडमैप तैयार किया जाएगा। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

सी.ई.ओ. पर छेड़छाड़ के आरोप की कोर्ट में सुनवाई

धौलपुर, 9 जनवरी (निसं)। यहां अनुसूचित जाति -जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट के न्यायाधीश नरेन्द्र मीणा ने एक महिला से दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के एक मामले में जांच अधिकारी को अपनी जांच पूरी करने के लिए 7 दिन का समय दिया और आगमी 16 जनवरी को कोर्ट में पुनः पेश होने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि गत माह एक महिला ने धौलपुर के पॉक्सो कोर्ट में इस्तगासा दायर कर जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान पर छेड़छाड़ तथा एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा के खिलाफ दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

इस मामले में कोर्ट ने धौलपुर एसपी को 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एस.पी. ने किन्हीं कारणों से इस मामले में जांच करने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी।

- महिला ने पॉक्सो कोर्ट में इस्तगासा दायर कर धौलपुर जिला परिषद के सी.ई.ओ. चेतन चौहान व एडिशनल एस.पी. बचन सिंह मीणा पर नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और सात दिन में जांच पूरी करने के आदेश दिए गए।

इसके बाद इस मामले की जांच भरतपुर के एडिशनल एसपी क्राइम, प्रकाश शर्मा को सौंपी गई, जो आज सोमवार को धौलपुर न्यायालय में पेश हुए। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण - जज ने बहस सुनी, जिसमें एडिशनल एसपी शर्मा ने कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। लेकिन पीड़ित महिला के वकील अमित कुमार कमठान ने एतराज जताया और कहां कि जांच अधिकारी मामले को खींचना चाह रहे हैं।

चीन ने वीज़ा प्रक्रिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर ऑर्डिलरी पासपोर्ट्स के लिए चाइनीज़ सिटिज़न्स एप्लीकेशन्स को पुनः स्वीकार और मंजूर करने सहित अपनी इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन नीतियों में 8 जनवरी से सुधार करने के लिए हाल ही एक नोटिस जारी किया।

उसका इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन चीन के निवासियों के हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में पर्यटन और कारोबारी उद्देश्यों को लेकर प्रोसैसिंग और एण्डोर्समैंट भी फिर से शुर करेगा। इसके साथ ही चीन के एग्ज़िट और एंट्री तथा बॉर्डर कंट्रोल एरियाज़ के लिए भी एग्ज़िट एंट्री परमिट्स जारी किए जाएंगे।

दूतावास ने बताया कि चीन और भारत के बीच व्यक्तिगत आवाजाही सुलभ करने के लिए उसने साधारण वीज़ा में लॉंग टर्म स्टडी, बिज़नैस, वर्क, फैमिली विज़िट्स, पर्सनल विज़िट्स, टेलैन्ट इन्ट्रोडक्शन व अन्य सहित 10 तरह की सेवाएं गत वर्ष के अगस्त माह के अंत में शुरू की।

चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चीन आने वाले भारतीयों को और सुविधा प्रदान करने के लिए दूतावास वीज़ा प्रबंधों में और सुधार करेगा।

खबर में कहा गया कि दूतावास वर्तमान आधार पर कारोबार, पारिवारिक यात्रा और निजी कामों के लिए आने वाले लोगों के लिए वीज़ा आवेदन की अंतिम तिथि में और छूट देने के साथ ही आवास, ट्रांज़िट, शॉर्ट टर्म स्टडी और पत्रकारों के लिए वीज़ा आवेदन लेना फिर से शुरू करेगा।

चीन में सिर्फ 23 हजार भारतीय छात्र अध्ययनरत हैं और उनमें भी अधिकांश मैडिकल कॉलेजों में पंजीकृत हैं। ये छात्र वैश्विक महामारी के कारण चीन नहीं लौट सके थे। ये प्रशिक्षण, शिक्षण या स्नातक की पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन की यात्रा नहीं कर सके थे। इससे रोजगार पर भी विपरीत असर पड़ा।

दूतावास ने अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के वीज़ा आवेदनों के लिए एक ग्रीन चैनल खोलकर चीन में स्कूली शिक्षा का काम पुनः शुरू करने को लेकर तेजी दिखाई है। इन संयुक्त प्रयासों से अब तक करीब 6 हजार 2 सौ भारतीय छात्र चीन का वीज़ा प्राप्त कर चुके हैं और वीज़ा पॉलिसी के नवीन समायोजन के कारण चीन के वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या वर्ष 2023 में बढ़ती रहेगी।

दूतावास ने बताया कि चीन के लिए वीसा आवेदन करने वाले अधिकांश भारतीय छात्र वे हैं जो यहां अध्ययन, कारोबार या काम के उद्देश्य से आना चाहते हैं। एंट्री वीज़ा पॉलिसी में छूट के साथ ही वर्ष 2023 में और समूहों के चीन आने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर कारोबार और पारिवारिक दौरों के लिए, जिनमें महत्वपूर्ण इजाफा होगा।

28 जनवरी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यालय पर सोमवार को हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में उनके दौरे की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार के खिलाफ आंदोलन-प्रदर्शन तेज करने का भी फैसला किया गया है। यह जल्द तय किया जाएगा कि आंदोलन कब से शुरू किए जाने हैं। पार्टी फिलहाल जनाक्रोश अभियान के जरिए सरकार को घेर रही है। अभियान के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है।

बैठक तय हुआ है कि पार्टी फरवरी में "समर्पण निधि अभियान" शुरू करेगी। अभियान के जरिए पार्टी फंड के लिए लोगों से सहयोग राशि ली जाएगी। इस साल चुनाव होने ऐसे में पार्टी फंड जुटाएगी। यह अभियान पिछले साल भी चलाया गया था। उस समय डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए लोगों से पैसा जुटाया गया था। पार्टी की ओर से सभी जिलों के लक्ष्य तय किए जाएंगे। अभियान की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

पार्टी की ओर से नव मतदाता अभियान भी इसी महीने शुरू किया जाएगा। इसमें नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा, ताकि इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट से यूनिफॉर्म सिविल कोड को ग्रीन सिग्नल मिला

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखण्ड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ दायर सभी याचिकायें खारिज कर दीं

- मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की बैंच ने कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार, कार्यकारी आदेश बताता है कि, विधायिका ने इसे अनुमति दी है। इस वजह से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नई दिल्ली, 9 जनवरी (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू करने के लिए जांच समिति गठित करने के राज्य सरकारों के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 162 का हवाला देते हुए अधिवक्ता अनूप बरनवाल की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार, कार्यकारी आदेश बताता है कि विधायिका ने इसे अनुमति दी है। इस वजह से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

शीर्ष अदालत ने याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं मानते हुए हैरानी जताई और कहा कि इस पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं है।

गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना की जांच के लिए समिति बनाने का फैसला किया था।

इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार ने भी पिछले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से पहले उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाने निर्णय लिया था।

पहली बार राज्यपाल ने अपने द्वारा "उद्घाटित" सत्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मक्कल डेसिया काची के विधायकों द्वारा लगाये गये कुछ नारे इस प्रकार थे- "राज्य के अधिकार मत छीनिये! तमिलनाडु को बख्शिये। तिरुक्कुरल को ट्विस्ट मत कीजिये! हम राज्यपाल की कड़ी भर्त्सना करते हैं! तमिलनाडु एंगलनाडु!"

कोलाहलपूर्ण नारेबाजी का सामना करते हुये, राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण पढ़ा, लेकिन उन्होंने द्रविड़ मॉडल तथा सरकार की उपलब्धियों के दावों के प्रसंग छोड़ दिये तथा इस प्रकार सरकार द्वारा तैयार किये गये उस मूल भाषण से हट गये, जिसकी प्रतियाँ सरकार ने सारे विधायकों को वितरित की थी। इस प्रकार उन्होंने सरकार के लिये उलझन पैदा कर दी। राज्यपाल द्वारा छोड़ दिये गये बिन्दुओं में शामिल थे- कानून व्यवस्था के उत्कृष्ट प्रबंधन के सरकार के दावे तथा तमिलनाडु पूरी तरह शांतिपूर्ण राज्य कैसे बना तथा किस तरह से उसने विदेशी निवेश अपनी ओर खींचा तथा किस तरह से सभी क्षेत्रों में अग्रणी बना हुआ है। सरकार द्वारा तैयार किये गये मूल भाषण में एक पैराग्राफ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार के सामाजिक न्याया के विषय में भी था। सरकार द्वारा तैयार किये भाषण के उस हिस्से, जिसे राज्यपाल ने अपने भाषण से हटा दिया, में यह भी शामिल था: "यह सरकार सामाजिक न्याय, आत्म सम्मान, समावेशी ग्रोथ समानता, महिला सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों तथा सबके प्रति संवेदना एवं करुणा की भावना पर आधारित है। थानथाई पेरियार, अन्नल अम्बेडकर, पेरुन्थलैवर कामराजार, पेरारिग्नार अन्ना तथा मुथानिझ आदिग्नार कलइग्नर जैसे दिग्गजों के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलते हुये, यह सरकार शासन के द्रविड-मॉडल का लाभ जनता को दे रही है।"

- अतः राज्यपाल द्वारा उस स्पीच में बोलते वक्त परिवर्तन करना गैर कानूनी व निन्दनीय है, अतः, वे राज्यपाल की इस हरकत के खिलाफ प्रस्ताव लाये हैं, विधानसभा में।

राज्यपाल ने भाषण के इस प्रकार के अंश छोड़ दिए, तो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने, एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुये, विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल के भाषण के उस हिस्से को हटा दिया जाये, जिसे उन्होंने आशुभाषण के रूप में, एकाएक बोला है तथा जो अनुमोदित मूल भाषण से अलग हटकर है। जैसे ही यह प्रस्ताव पेश हुआ, राज्यपाल एकाएक सदन को छोड़कर चले गये।

यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्यपाल की इस कार्यवाही से एक और विवाद शुरु हो गया है तथा द्रमुक एवं उसके मित्र दलों को राज्यपाल फूटी आँखें नहीं सुहा रहे। चन्द मिनट के अंदर ही, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने माँग कर डाली की राज्यपाल रवि का हटाया जाए क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के पद की गरिमा को कम किया है तथा वे भाजपा-प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं।

द्रमुक तथा उसके सभी गठबंधन पार्टनरों ने भी यही रुख अपनाया है तथा राज्यपाल भाजपा-आर.एस.एस. के सोच को फैला रहे हैं। उन्होंने यह सवाल भी पूछा है कि कोई पदासीन राज्यपाल द्रविड राजनीति की आलोचना कैसे कर सकता है तथा उसे "प्रतिगामी" (रिग्रैसिव) कैसे बता सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने सरकार द्वारा परम्परानुसार तैयार किये जाने वाले अभिभाषण के मूल पाठ को अनुमोदित किया था तथा उसके बाद, इसे पुस्तिका के रूप में छपवाकर विधायकों को वितरित किया गया था तथा उनके कम्प्यूटरों पर अपलोड़ कर दिया गया था। स्टालिन ने कहा, "राज्यपाल ने, उनके द्वारा ही पूर्व में अनुमोदित राज्यपाल के अभिभाषण का मूल पाठ पूरा नहीं पढ़ा। यह सदन के नियमों का उल्लंघन है। इसलिये, जो भाषण को स्वीकार करता है, के नियम 17 में ढील देते हुये, राज्यपाल के अभिभाषण के मुद्रित एवं अनुमोदित मूलपाठ, तथा उसके तमिल संस्करण, जिसे विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पाबू ने पढ़कर सुनाया, को ही सदन के रिकॉर्ड में रहना चाहिये।" इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भाषण का मूल पाठ 5 जनवरी को राज्यपाल के पास भेज दिया गया था, जिसे उन्होंने 7 जनवरी को अनुमोदित कर दिया था।

राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है।

राज्य विधानसभा का आज का अपूर्व घटनाक्रम यह दर्शा रहा है कि अब दोनों पक्षों के हाथ खुल गये हैं तथा निर्वाचित सरकार तथा राज्यपाल- दोनों टकराव की मुद्रा में आमने-सामने हो गये हैं। दरअसल, तमिलनाडु के राजनैतिक दल, खासतौर से द्रमुक तथा उसके गठबंधन पार्टनर एक बार इससे पहले भी राज्यपाल को वापस बुलाये जाने की माँग कर चुके हैं।

कई विधायकों ने कहा कि राज्यपाल कई महत्वपूर्ण विधेयकों को रोके भी बैठे हैं, जिसके कारण सरकार का काम, जो वस्तुतः जनता का ही काम है, का नुकसान हो रहा है।

एक बात तो सभी विधायक, जिनमें भाजपा के मित्र दल अन्नाद्रमुक के विधायक भी शामिल हैं, कह रहे हैं कि तमिलनाडु के नाम-परिवर्तन का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

केवल भाजपा प्रवक्ताओं ने राज्यपाल का बचाव किया है तथा नारेबाजी करने तथा राज्यपाल को विधानसभा में न बोलने देने को लेकर, सत्तारूढ़ दल तथा उसके गठबंधन पार्टनरों की आलोचना की है।

जोधपुर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रही है। जोधपुर सहित विभिन्न राज्यों से भी लोगों ने यहां अपनी स्टालें लगाई है। मेले में हैंडमेड आइटम्स से लेकर घरेलू सामग्री और खाने-पीने के सामान, ऑटोमोबाइल, फैंसी सामान, कपड़े आदि की स्टाल्स लगाई गई हैं। मेले का आयोजन जिला उद्योग, जिला प्रशासन और मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वावधान में हो रहा है।

गंदगी से जा रहा गलत संदेश

उत्सव देशभर से आर्टिजन आए हैं। मेला स्थल में कई जगह पर गंदगी की वजह से उनके बीच गलत संदेश जा रहा है। सरकार के 4 साल के विकास कार्यों का बखान करती पुस्तकें भी मेले में बिखरी हुई नजर आ रही हैं, जबकि इस पुस्तक में जोधपुर सहित राजस्थान में सरकार की ओर से करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जिला दर्शन पुस्तिका भी इसमें शामिल है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908